# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

किसानों की जमीन के अधिग्रहण संबंधी श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2133) पर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 94 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ के ब्यावरा में फायर ब्रिगेड वाहन न होने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में घरेलू गैस कम मात्रा में दी जाने,
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले के अधिकतर छात्रावासों में साफ सफाई की व्यवस्था न होने,
(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर की कराहल तहसील के ग्रामों में कम वोल्टेज की विद्युत प्रदाय की जाने,
(5) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर के ललितपुरा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित न किये जाने,
(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के चांदबलाई लघु सिंचाई परियोजना के वेस्टवेयर नीचा रखे जाने,
(7) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की जिला बैतूल के ग्राम बाबई में मार्ग निर्माण किये जाने,
(8) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की बीना में खेल परिसर का निर्माण न होने,
(9) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह में कन्या विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण न होने तथा
(10) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की भोपाल के रोहित नगर की सड़के जर्जर अवस्था में होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखा।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 तथा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन पटल पर रखा।

## 4. अध्यक्षीय व्यवस्था

## सी.ए.जी. की ऑडिट रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग करने विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि सदन में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सी.ए.जी. की ऑडिट रिपोर्ट) के अनुसार प्रदेश को चार हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ है। लोक सभा में भी ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होती है। हमने इस पर नियम 130 के अधीन सूचना दी है, कृपया इस पर आज चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - ''वरिष्ठ सदस्यों को मुझे यह स्मरण कराने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता दूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शित मामलों की जो बात आप कर रहे हैं, उन सभी आडिट कंडिकाओं की जांच इसी विधानसभा की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति लोक लेखा समिति करती है और संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के तहत इस महत्वपूर्ण समिति के सभापति प्रतिपक्ष के सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ही हैं। सभी मामलों पर यह समिति अपना प्रतिवेदन देती है, इसलिए सदन में यह मामला उठाना उचित नहीं है।''

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सी.ए.जी. की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई। अत्यधिक व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.35 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.43 बजे पुन: समवेत हुई।)

## 5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 8 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश के औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने सीधी जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य बंद किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में लीड समितियों में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ.कल्पना परूलेकर एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नवीन सेटअप स्वीकृत न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं श्री सुनील जायसवाल, सदस्यगण ने सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा एवं बदेली उद्वहन सिंचाई योजना का संचालन बंद किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, रामनिवास रावत एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने ग्वालियर शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी हाथों में दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

**(अपराह्न 1.02 से 2.35 बजे तक अन्तराल)**

(श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ध्यानाकर्षण क्र. (6) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आकर बैठे तथा आसंदी द्वारा वापस जाने के निर्देश के बाद भी लगातार बैठक समाप्ति तक गर्भगृह में बैठे रहे।)

(7) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम रिसेवाड़ा में घटित घटना में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर प्रकरण बनाये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(8) सर्वश्री चम्पालाल देवड़ा, प्रियव्रत सिंह, रामलखन सिंह, सदस्यगण, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

### (1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । तदनुसार समिति ने शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

| क्रमांक | अशासकीय संकल्प क्र. | प्रस्तुतकर्ता सदस्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1. | (क्रमांक- 9) | श्री संजय पाठक | 15 मिनट |
| 2. | (क्रमांक-13) | श्री के.पी. सिंह | 40 मिनट |
| 3. | (क्रमांक- 19) | श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा | 15 मिनट |
| 4. | (क्रमांक-23) | श्री बृजमोहन धूत | 40 मिनट |
| 5. | (क्रमांक- 29) | श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति | 40 मिनट |

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### (2) लोक लेखा समिति के 159 वें से 186 वें प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह, सभापति ने लोक लेखा समिति का 159 वां से 186 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

### (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के एक सौ पन्द्रहवें प्रतिवेदन से एक सौ तीसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गिरीश गौतम, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पन्द्रहवां प्रतिवेदन से एक सौ तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्री सुदामा सिंह सिग्राम (जिला-अनूपपुर)
(2) श्री रामगरीब कोल (जिला-रीवा)
(3) कुँ. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(4) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री रामलखन सिंह (जिला-सतना)
(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह (जिला-भोपाल)

## 8. शासकीय संकल्प

### प्रदेश के ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने विषयक

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत संकल्प पर पुनर्ग्रहीत चर्चा के क्रम में श्री ओम प्रकाश सकलेचा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया । निम्नलिखित सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया:-

(2) श्री रामनिवास रावत
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह
(7) श्री के.पी. सिंह
(8) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री, श्री राघवजी, वित्त मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

## 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव - न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर चर्चा का पुनर्ग्रहण :-

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय, अर्थात्:- खण्ड 3 की अंतिम पंक्ति में शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "ढाई प्रतिशत" स्थापित किया जाय,

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
संशोधन स्वीकृत हुआ।
यथासंशोधित खण्ड 3 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा इस संशोधन विधेयक के माध्यम से न्यायालय फीस की दर घटाने पर, मुख्यमंत्री महोदय एवं संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद दिया गया।)

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री ब्रजराज सिंह
(2) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन्, 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ब्रजराज सिंह
(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(3) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन्, 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(3) श्री पारस सकलेचा

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री विश्वास सारंग
(3) डॉ. कल्पना परूलेकर
(4) श्री पारस सकलेचा

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**राजकुमार पांडे**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल :**
**दिनांक : 13 दिसम्बर, 2012**